



दिनांक:- 05.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा भैंस चोरी के मुकदमों में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दि० 24.01.2025 को थाना सरसावा पर वादी राहुल कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम असदपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की भैंस चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु०अ०सं० 29/25 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 13.02.2025 को वादी प्यार मौहम्मद पुत्र नियाज अली निवासी ग्राम समसपुर कला थाना सरसावा की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की भैंस चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु०अ०सं० 54/25 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/नकबजन आदि शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सरसावा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में आज दिनांक 05.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान उपरोक्त मुकदमों में पशु चोरी में वांछित **अभियुक्त जाबिर पुत्र इलियास निवासी ग्राम कुण्डा कला थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को ग्राम कुण्डा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त जाबिर उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं और मेरे दो अन्य साथी मिलकर पशु चोरी करते हैं दिनांक 9/10.02.2025 की रात्रि में मैंने व मेरे दोनो साथियों ने मिलकर ग्राम समसपुर थाना सरसावा से एक भैंस चोरी की थी तथा 24.01.2025 की रात को एक भैंस असदपुर गांव से चोरी की थी तथा दिनांक 25.01.25 की रात्रि में ग्राम जलालाबाद थाना गंगोह से एक गाय व बछड़ा चोरी किया था ये सभी चोरी हमने अशोका लीलैण्ड नं० UP11AT 9952 से की थी जो हमने 21000 रु० महीने के ठेके पर गांव चांदपुर के बुन्दू से ले रखा है 14/15.02.2025 की रात को हम तीनों चोरी की 02 भैंस, 01 गाय व बछड़े को उसी गाडी में लादकर मेरठ पैठ में बचने के लिये जा रहे थे कि जिला शामली में झिझाना पुलिस ने मेरे दोनो साथियों को पकड़ लिया था तथा मैं मोके से भाग गया था। हम लोग पशु चोरी कर अपने गांव कुण्डा के जंगल में छिपा देते थे जिससे हम पकड़े न जाये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जाबिर पुत्र इलियास निवासी ग्राम कुण्डा कला थाना गंगोह जिला सहारनपुर

अभियुक्त जाबिर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 54/25 धारा 305(A) 317(2) बी०एन०एस० थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 29/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री महेश सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री विनय कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का० 96 विक्रान्त थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



दिनांक:05.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 11 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.05.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त अमजद पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम नवाजपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को 11 ग्राम स्मैक सहित ग्राम अम्बहेटी रोड पर स्थित रशीद के ट्यूवैल के पास आम का बाग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 136/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का बयान:- अभियुक्त अमजद उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं कक्षा 10 वीं तक पढा हुआ हूँ। मैं नशा करने का आदि हूँ। यह स्मैक मैं दूसरे राज्यों से खरीद कर लाता हूँ और यहां पर लाकर नशा करने वाले लोगो को बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमजद पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम नवाजपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

11 ग्राम स्मैक

अभियुक्त अमजद उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0 380/23 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना नकुड़ स0पुर
- 2.मु0अ0सं0 385/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना नकुड़ स0पुर
- 3.मु0अ0सं0 136/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना नकुड़ स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 301 प्रवीण ढाका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



दिनांक:05.05.2025

-प्रेस नोट-

RANGE SAHARANPUR

अवगत कराना है कि आज दिनांक 05.05.2025 को पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा 6वीं वाहिनी, मेरठ में दिनांक 23.04.2025 से 26.04.2025 तक आयोजित 30वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक कुश्ती कलस्टर प्रतियोगिता वर्ष-2025 की फ्री-स्टाईल कुश्ती (पुरुष वर्ग) में उपविजेता रहने वाली मेरठ जोन, मेरठ की टीम में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनायें दी गयीं।



दिनांक: 05.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा 03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 16.02.2025 को वादीया जरीन पत्नी उसमान निवासी ग्राम माजरी, थाना गागलहेड़ी की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटरसाइकिल (UP 11 CJ 1045) चोरी कर लेने के संबंध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0- मु0अ0स0 31/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोरी की घटनाओं की शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान 03 शातिर वाहन चोर/ अभियुक्तगण 1. रोहित पुत्र जसबीर निवासी ग्राम मुल्लानगराजपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर 2. तौसीफ पुत्र वकील निवासी ग्राम मुल्लानगराजपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर 3. अब्दुल कादिर पुत्र इमरान निवासी ग्राम माटकी थाना बेहट जिला सहारनपुर को हरौडा कट के पास एक बाग में बने कमरे से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 04 मोटर साइकिल बरामद की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)//317(5)/61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम कम पढ़े लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। अक्सर हमें पैसी की कमी रहती है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये हम मोटरसाइकिल चोरी कर बेच देते हैं जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है और मुनाफे को हम आपस में बाँट लेते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त रोहित ने बताया कि दिनांक 15.02.2025 को मैंने व मेरे अन्य साथी के साथ मिलकर निशा गार्डन के पास से चोरी कर तौसीफ व अब्दुल कादिर को 10,000/- रुपये में बेच दी थी। तौसीफ व अब्दुल से हमारी अच्छी दोस्ती हो गयी थी और अब हम तीनों मिलकर आस पास के क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी करने लगे थे। हम तीनों ने मिलकर 01 मोटरसाइकिल बेहट बाजार व 01 मोटरसाइकिल चिलकाना अड्डे तथा 01 अन्य मोटरसाइकिल हमने सहारनपुर शहर से चोरी की थी। हमने सभी चोरी की मोटरसाइकिल को हरौडा कट के पास एक बाग में बने कमरे में छिपा रखा था। आज हम चोरी की गयी मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में थे तभी पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. रोहित पुत्र जसबीर निवासी ग्राम मुल्लानगराजपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
2. तौसीफ पुत्र वकील निवासी ग्राम मुल्लानगराजपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
3. अब्दुल कादिर पुत्र इमरान निवासी ग्राम माटकी थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी -

- चोरी की 04 मोटरसाइकिल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

- 1.थानाध्यक्ष सुरेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
- 2.उ0नि0 उपेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
- 3.उ0नि0 अतुल कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. का0 398 नरदेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
- 5.है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. है0का0 716 राकेश राणा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. का0 12 टुकेश यादव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर



दिनांक 05-05-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**थाना देवबन्द साइबर हेल्प डेस्क द्वारा आनलाइन साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गयी
44250/-/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी वापस**

अवगत कराना है दिनांक 03.01.2025 को वादी नईम अली पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम अम्बेहटा शेखा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबात अज्ञात व्यक्ति द्वारा जानकार बनकर धोखाधडी से 44,250/- रुपये की धोखाधडी करने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द साइबर शिकायत संख्या 23101250001434 दर्ज कराई गयी। जिसमें साइबर हैल्प डैस्क की जांच के उपरान्त मु0अ0सं0 92/2025 धारा 318(4) बीएनएस 66 डी आई टी एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्ष, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व धोखाधडी कर ठगी की गयी धनराशि को पीडितो के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वादी से साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गयी 44250/- रुपये की धनराशि एक्सिस बैंक में वादी के खाते में फ्रीज कराये गये थे, जो आज दिनांक 05/05/2025 को साइबर सेल देवबन्द सहारनपुर द्वारा विधिक कार्यवाही के उपरान्त वादी नईम अली के खाते में 44250/- रुपये की शतप्रतिशत धनराशि वापस कराई गयी। पीडित द्वारा थाना देवबन्द साइबर हैल्प डेस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

साइबर फ्राड में वापस कराने वाली साइबर टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
2. स0उ0नि0 रूपेन्द्र सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.05.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सावेज पुत्र शमसाद निवासी ग्राम भैंसराऊ थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 28/2017 धारा 302 भादवि व 3(2)(V) SC/ST ACT को उसके घर से एवं एक अन्य वारण्टी अभियुक्त अनीस पुत्र कबीर निवासी ग्राम खुजनावर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 142/21 मु0अ0सं0 71/17 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टियों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. सावेज पुत्र शमसाद नि0 ग्राम भैंसराऊ थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. अनीस पुत्र कबीर निवासी ग्राम खुजनावर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अनिल तेवतिया थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. का0 2377 ब्रजेश थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. का0 2214 कुमारपाल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 05.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा छेड़छाड़ के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30.04.2025 को वादी की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1.अभिषेक पुत्र संजीव कुमार 2.अनिकेत पुत्र संजीव 3.तरुण पुत्र राकेश 4.कान्हा पुत्र अनिल 5.सन्नी पुत्र बालेन्द्र निवासीगण ग्राम बान्दूखेडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 6.आयुष पुत्र नामालूम निवासी अज्ञात व अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की बहन के साथ छेड़खानी करने तथा जान से मारने की धमकी देने तथा वादी व वादी के मामा द्वारा समझाने पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर धारदार हथियारों से लैस होकर हमला कर मारपीट करने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 129/25 धारा 191(2)/191(3)/74/115(2)/351(3)/131 भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर उपरोक्त घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **अभिषेक कुमार पुत्र संजीव निवासी ग्राम बान्दूखेडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को नकुड़ बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 75(2)/ 76/117(2) भा0न्या0स0 की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक कुमार पुत्र संजीव निवासी ग्राम बान्दूखेडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रोबिन राठी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1122 प्रवीण ढाका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 05.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से
02 तमंचे/02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम, अवैध अस्लाह के कारोबार की रोकथाम व इस कारोबार में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0 एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्तगण 1. नवदीप उर्फ दीपक पुत्र प्रमोद कुमार निवासी ग्राम इस्माईलपुर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर ,2. प्रवेश कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम आमवाला चकआदमपुर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को भाऊपुर के पास ट्यूबवैल से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 तमंचे/02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 126/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि पुलिस ने हमसे जो तमंचा व कारतूस बरामद किये हैं उन्हें हम आस पास के लोगो को डराने व धमकाने के लिये अपने पास रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.नवदीप उर्फ दीपक पुत्र प्रमोद कुमार निवासी ग्राम इस्माईलपुर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
- 2.प्रवेश कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम आमवाला चकआदमपुर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 02 तमंचे .315 बोर
- 02 कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. हैड का0 31 सुभाष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1823 श्रवण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.05.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा वारंटी अभियुक्त **1. पवन कुमार पुत्र रामदास निवासी ग्राम दतौली राघड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 2. बबलू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम दलौती राघड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** सम्बंधित वाद स0 897/2011 मु0अ0स0 97/2007 धारा147/323/324/452/504/506 भा0द0वि0 मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जनपद सहारनपुर को ग्राम दतौली राघड से उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. पवन कुमार पुत्र रामदास निवासी ग्राम दतौली राघड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. बबलू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम दलौती राघड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 547 पंकज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 1487 जयकुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर



दिनांक: 05.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 160
ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त प्रवेश पुत्र अनपाल निवासी ग्राम फतेहपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर** को बादशाहीबाग से आगे विकास नगर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 160 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 61/2025 धारा 8/20एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ अक्सर मुझे पैसों की कमी रहती है। अधिक रुपये कमाने के लिये मैं चरस सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं चरस बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझ पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

प्रवेश पुत्र अनपाल निवासी ग्राम फतेहपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 160 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- 1.उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह रावल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
- 2.हेका0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
- 3.है0का0 847 धर्मेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 05.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा अति०/निरीक्षक श्री अजय कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.05.2025 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त 1. जगरोशन उर्फ जगदरक्षन पुत्र कर्मसिंह निवासी ग्राम शेरपुर पेलो थाना मिर्जापुर सहारनपुर सम्बन्धित वाद स० 2993/19 धारा 60/62 आ०आधि० 2. हुसैन पुत्र राशिद उर्फ भूरा निवासी ग्राम मिर्जापुर सहारनपुर सम्बन्धित वाद स० 3067/19 धारा 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. जगरोशन उर्फ जगदरक्षन पुत्र कर्मसिंह निवासी ग्राम शेरपुर पेलो थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. हुसैन पुत्र राशिद उर्फ भूरा निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम –

1. उ०नि० भुपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. हेका० 958 धीरेन्द्र तोमर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. का० 2284 श्रीकृष्ण थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. का० 2453 संदीप कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर